फर्द अहकाम

न्यायालय सि. 250 बोरसली

बनाम

रामकुमार — रामनाथ भवानीसिंह?

मुकदमा संख्या /वर्ष 121/2016 — वाद — /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.12.22	अधिवक्ता [illegible] उपस्थित। अभिभाषक [illegible] स्थगित रखा [illegible] अन्य कार्य [illegible] पत्रावली दिनांक 1-2-23 [illegible] हो।	
	1.2.23	अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन न्यायालय समय समाप्ति तक वादी या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वाद अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित स्वरूप होने दर्ज रजिस्टर से कम हो।	